"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 580] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (1).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत–बगीचा जिला– जशपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	04	खुड़िया रानी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	शिव शंकर वार्ड
		05	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		11	इंदिरा गांधी वार्ड
		13	राजीव गांधी वार्ड
		14	पं. नेहरू वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	09	सर्वेश्वरी वार्ड
		15	मोरू भाई केतकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक	
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	निरंक	
7.	महिला वर्ग	06	साईं बाबा वार्ड
		07	पं. दीनदयाल वार्ड
		10	स्वामी रामकृष्ण वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (1) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-92/2014/18(1).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat BAGICHA distt. JASHPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	04	Khudia Rani Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	NILL	
3.	Scheduled Tribes	03	Shivshankar Ward
		05	Shyama Prashad Mukhreeje Ward
		11	Indira Gandhi Ward
		13	Rajiv Gandhi Ward
		14	Pandit Nehru Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	09	Sarweswari Ward
		15	Moru Bhai Keitkar Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	NILL	
6.	Other Backward Class (Female)	NILL	
7.	Female	06	Shri Sai Baba Ward
		07	Pandit Dinayal Ward
		10	Swami Rama Krishna Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–88/2014/18 (2).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत–पत्थलगांव जिला– जशपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	संत विनोवाभावे वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	महात्मा गांधी वार्ड
		03	भगत सिंह वार्ड
		07	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	06	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		08	सुभाष चंद्र वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	शंकराचार्य वार्ड
		10	शिवाजी वार्ड
		11	राजीव गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	विवेकानंद वार्ड
7.	महिला वर्ग	14	लोकमान्य तिलक वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1—92/2014/18 (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1—92/2014/18 (2) दिनांक 07—11—14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप—सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-92/2014/18 (2).—the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat PATHALGOAN distt. JASHPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	02	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Sant Vinoba Bhave Ward
3.	Scheduled Tribes	01	Mahatma Gandhi Ward
		03	Bhagat Singh Ward
		07	Lal Bahadur Shastri Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	06	Dr.Rajendra Prasad Ward
		08	Subhash Chandra Ward
5.	Other Backward Class	09	Shankaracharya Ward
		10	Shivaji Ward
		11	Rajiv Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Vivekanand Ward
7.	Female	14	Lokanya Tilak Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (3).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत – कोतबा जिला– जशपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:।

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	गुरूघासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		04	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		07	राजगुरू वार्ड
		15	वीरनारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	सती वार्ड
		12	कार्तिक उरांव वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक	
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	निरंक	
7.	महिला वर्ग	02	चंद्रशेखर वार्ड
		11	रानी दुर्गावती वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (3) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-92/2014/18 (3).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat KOTBA distt. JASHPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	13	Gurughansidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Dr.Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	03	Rani Laxmi Bai Ward
		04	Sardar Vallabh Bhai Patl Ward
		07	Rajguru Ward
		15	Veer Narayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Sati Ward
		12	Kartik Uranv Ward
5.	Other Backward Class	NILL	
6.	Other Backward Class (Female)	NILL	
7.	Female	02	Chandra Sekhar Ward
		11	Rani Durgawati Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत –कुनकुरी जिला– जशपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	वृन्दावन वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	पं.दीनदयाल वार्ड
		06	अग्रसेन वार्ड
		08	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	सुभाष वार्ड
		07	महावीर वार्ड
		11	राजीव गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	15	गोकुल वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
		12	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		13	तिलक वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (4) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-92/2014/18 (4).— the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat KUNKURI distt. JASHPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and, Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	14	Brindaban Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	NILL	
3.	Scheduled Tribes	02	Pandit Dindayal Ward
		06	Agreshen Ward
		08	Rani Laxmi Bai Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	05	Subhash Ward
		07	Mahaveer Ward
		11	Rajiv Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	15	Gokul Ward
7.	Female	03	Dr.Ambedkar Ward
		12	Swami Vivekananda Ward
		13	Tilak Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1—92/2014/18 (5).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29—ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद जशपुर, जिला—जशपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	06	शास्त्री वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	19	राजमहल वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	महात्मा गांधी वार्ड
		11	राजीव वार्ड
		16	भगत सिंह वार्ड
		17	शिवशंकर वार्ड
		18	युवराज उपेन्द्र वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	04	तिलक वार्ड
		07	डॉ.अम्बेडकर वार्ड
		14	भोरू भाई केतकर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	बिरसा मुण्डा वार्ड
		13	स्व.रामअवतार जायसवाल वार्ड
		20	पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	बालाजी वार्ड
		15	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
7.	महिला वर्ग	08	महावीर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप—सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–92/2014/18 (5) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-92/2014/18 (5).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council JASHPUR distt. JASHPUR is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	06	Shastri Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	19	Rajmahal Ward
3.	Scheduled Tribes	01	Mahatma Gandhi Ward
		11	Rajiv Ward
		16	Bhagat Singh Ward
		17	Shivshankar Ward
		18	Yuvraj Upendra Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	04	Tilak Ward
		07	Dr.Ambedkar Ward
		14	Bhoru Bhai Ketkar Ward
5.	Other Backward Class	05	Birsha Munda Wrd
		13	Late Ram Avtar Jaiswal Ward
		20	Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Balaji Ward
		15	Maharani Laxmi Bai Ward
7.	Female	08	Mahavir Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

